अध्याय VIII : विदेश मंत्रालय

8.1 सार्क संग्रहालय की स्थापना

वस्त्र एवं हस्तशिल्प के सार्क संग्रहालय को 10 वर्षों के बीत जाने तथा ₹18.47 करोड़ का व्यय करने के पश्चात अभी भी चालू किया जाना है (दिसम्बर 2019)।

भारत ने नवम्बर 2005 में ढाका में हुए XIII दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलन में विभिन्न शिल्पों एवं संबंधित परंपराओं में डिजाईन को संरक्षित करने, कारीगरों एवं शिल्पकारों को प्रशिक्षित करने, फोस्टर डिजाईन कौशल को बढ़ावा देने, प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा अनुसंधान करने हेतु वस्त्र एवं हस्तशिल्प के एक सार्क[1] संग्रहालय (संग्रहालय) की स्थापना का प्रस्ताव किया। सार्क की प्रथम अंतर सरकारी बैठक के दौरान आगे यह निर्णय लिया गया था (फरवरी 2007) कि संग्रहालय की स्थापना भारत में की जाएगी तथा बाद में, इनकी दूसरी बैठक में दिल्ली हाट, पीतमपुरा को संग्राहलय के स्थायी स्थान के रूप में चयन किया गया था (नवम्बर 2008)।

संग्रहालय की स्थापना सार्क क्षेत्रीय केन्द्रों के तर्ज पर की जानी थी जहां पूंजीगत लागत को मेजबान देश द्वारा वहन किया जाता है तथा प्रचालन लागतों को सभी सदस्य राज्यों द्वारा सहभाजीत किया जाता है।

प्रोजेक्ट को गैर-योजनागत व्यय (सीएनई) समिति द्वारा 14 सितम्बर 2009 को इस शर्त पर अनुमोदित किया गया था कि प्रोजेक्ट को किफायती ढंग से निष्पादित किया जाना था तथा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए जिससे कि कोई लागत तथा समय वृद्धि न हो।

संग्रहालय हेतु परिसर को विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) से 14 वर्षों के लिए पट्टे पर (नवम्बर 2009) लिया गया था तथा जनवरी 2010 में दो प्रदर्शनी हॉल के लिए ₹15.59[2] करोड़ का अग्रिम किराया एमईए ने अदा किया। अनुरक्षण प्रभारों का

---

[1] दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में आठ सदस्य देश नामत: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल है।

[2] ₹13.88 करोड़ के अग्रिम प्रभार तथा 12.36 *प्रतिशत* की दर पर कुल ₹1.71 करोड़ का सेवा कर।

अनुवर्ती 13 वर्षों[3] के लिए भारत का हिस्सा ₹4.74 करोड़ था। प्रोजेक्ट का वित्तीय निहितार्थ ₹25.18 करोड़[4] था।

इसके पश्चात, एमईए ने अप्रैल 2010 में सदस्य राज्यों में रूपरेखा मानचित्र योजना तथा प्रारूप आरेखण परिचालित किया जिसको बाद में सीएनई की अनुमोदित योजना तथा एमसीडी को अनुमेय इमारत योजना के अनुसार बनाने के लिए मई 2011 तथा अप्रैल 2012 में संशोधित किया गया था। संशोधित डिजाईन को सार्क सचिवालय में उनके अनुमोदन हेतु परिचालित (जुलाई 2012) किया गया था। एमईए ने उन डिजाइन एवं आरेखण, जिनका कुछ सदस्य राज्यों[5] से अनुमोदन लम्बित था, के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया (नवम्बर 2012)।

एमईए ने भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) का ₹4.85 करोड़[6] की कुल लागत पर दो हॉल के प्रबंधन एवं रखरखाव सहित उनकी स्थापना तथा विकास के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में चयन किया तथा ₹50 लाख का अग्रिम जारी किया (मार्च 2013) जबकि उसने इसके साथ केवल मार्च 2014 में जाकर ही औपचारिक अनुबंध किया था। एचएचईसी ने बाद में संग्रहालय के सिविल तथा आंतरिक कार्य को निक्षेप कार्य आधार पर दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) को सौंपा।

सहमत समय सीमा के अनुसार, प्रथम चरण में शामिल आरेखण, अनुमान तैयार करना तथा निविदा संबंधित कार्य को 30 अप्रैल 2014 तक; सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा वातानाकूलन कार्य को 30 सितम्बर 2014 तक; तथा आंतरिक डिजाइन, कला तथा परिसज्ज्न कार्य जनवरी 2015 तक पूरा किया जाना था। संग्रहालय को 31 मार्च 2015 से चालू किया जाना प्रत्याशित था।

---

[3] सार्क सदस्य राज्यों में सहभाजीत किए जाने वाले पट्टा अवधि के बाद के 13 वर्षों में अनुरक्षण प्रभार जिसमें दूसरे वर्ष के आगे से भारत का अंशदान लगभग 30 *प्रतिशत* होना था।

[4] ₹15.59 करोड़ का किराया, ₹3.65 करोड़ के विकास प्रभार, प्रचालन के प्रथम वर्ष के लिए अनुरक्षण प्रभार ₹1.20 करोड़ तथा ₹4.74 करोड़ पर 13 वर्षों के लिए अनुरक्षण प्रभार का अंश

[5] भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका ।

[6] विकास शुल्क ₹365.25 लाख; प्रथम वर्ष के लिए प्रचालन/अनुरक्षण शुल्क ₹120.23 लाख

सितम्बर 2019 तक, एमईए ने ₹18.47 करोड़ (पट्टा किराया हेतु डीटीटीडीसी को ₹13.88 करोड़ तथा संग्रहालय के विकास हेतु एचएचईसी को ₹4.59 करोड़) जारी किए थे।

निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जाती हैं:

- एमईए ने डिजाईन एवं आरेखण को अंतिम रूप देने हेतु दो प्रर्दशनी हॉल को किराया पर लेने के लिए डीटीटीडीसी के साथ पट्टा अनुबंध किए जाने में तीन वर्षों से अधिक समय लिया तथा फिर कार्य प्रारम्भ किया (नवम्बर 2012), जिसके लिए कुछ सदस्य राज्यों से अनुमोदन लम्बित है।
- कार्यान्वयन अभिकरण एचएचईसी के साथ अनुबंध, प्रदर्शनी स्टालों को किराए पर लेने (नवम्बर 2009) से चार वर्षों से अधिक के विलम्ब के पश्चात हस्ताक्षरित किया गया था (मार्च 2014)।
- लागत वृद्धि के कारण, आंतरिक, सजावट, परिसज्जन, बाहरी कला कार्य के दायरे आदि मई 2015 से लम्बित रहे। एचएचईसी ने लागत वृद्धि का कार्य में संशोधन करके अर्थात् परिसज्जन सामग्री की कटौती, हटाकर तथा बदलकर, इत्यादि समायोजन किया (दिसम्बर 2015)। डीटीटीडीसी ने आंतरिक कार्य, परिसज्जन, बाहरी कला कार्य के दायरे आदि के लिए अपने विस्तृत अनुमान का ₹1.04 करोड़ से ₹1.99 करोड़ तक का संशोधन किया (अक्तूबर 2017) तथा कार्य को केवल संशोधित अनुमानों के अनुसार निधियों के पूर्ण रुप में प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया।
- यद्यपि संग्रहालय प्रोजेक्ट को 30 मार्च 2015 तक पूर्ण तथा 31 मार्च 2015 तक चालू किया जाना था फिर भी प्रोजेक्ट दिसम्बर 2019 तक पूर्ण तथा चालू नहीं किया गया है।

उत्तर में, एमईए ने बताया (दिसम्बर 2019) कि सार्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प संग्रहालय, पीतमपुरा, दिल्ली हाट में सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निर्माण कार्य पूर्ण है। ₹1.41 करोड़ की राशि आंतरिक निर्माण कार्य को करने के लिए जारी (13 मार्च 2019) की गई थी। तथापि, निर्माण कार्यों के लिये निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया है, क्योंकि एचएचईसी ने सूचित किया कि वह आंतरिक निर्माण कार्यों के समापन के पश्चात प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात वस्त्र मंत्रालय जो पीएसयू को बंद करने पर विचार कर रहा है, संग्रहालय के प्रबंधन तथा भविष्य प्रचालन का उत्तरदायित्व लेने की स्थिति में नहीं है। संग्रहालय के भविष्य के

लिए एक स्पष्ट रोड़मैप के अभाव में, आंतरिक निर्माण कार्यों के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं समझा गया था। मामला वस्त्र मंत्रालय को कोई वैक्लिपक प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु प्रेषित किया गया था। वस्त्र मंत्रालय ने मामले पर संपूर्ण चर्चा तथा आगे की कार्रवाई हेतु एमईए को आमंत्रित किया है।

इस प्रकार, एमईए द्वारा प्रोजेक्ट की निगरानी में त्रुटिपूर्ण प्रणालीगत पद्धति का परिणाम, ₹18.47 करोड़ का व्यय करने तथा 10 वर्षों से अधिक के विलम्ब के बावजूद भी सार्क संग्रहालय, जिसकी सार्क की जीवित परंपरा को प्रतिबिंबित करने वाले तथा सार्क अधिमान्य व्यापार अनुबंध प्रक्रिया को एक उत्प्रेरक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु एक जीवंत केन्द्र के रूप में अभिकल्पना की गई थी, की स्थापना की परियोजना के गैर-समापन में हुआ।

8.2 विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण राजस्व की हानि

भारतीय उच्चायोग (एचसीआई) विलिंग्टन द्वारा विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के कारण भारतीय नागरिकता के त्याग शुल्कों और पासपोर्ट के दुरूपयोग पर जुर्माना के परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ के राजस्व का कम संग्रहण हुआ।

नागरिकता नियमावली 2009 की अनुसूची- IV जो 25 फरवरी 2009 में लागू हुई तथा पासपोर्ट नियम पुस्तिका, 2016 (अध्याय 29 पैरा 8.2) प्रावधान करते हैं कि विदेश में भारतीय नागरिकता के त्याग के लिए ₹7000 का सेवा शुल्क लिया जाना था। इसके अतिरिक्त, पासपोर्ट नियम पुस्तिका, 2016 में जिसका विदेशी पासपोर्ट प्राप्त किए जाने के पश्चात तीन वर्ष तक अभ्यपर्ण नहीं किया गया बल्कि यात्रा हेतु एक बार भी उपयोग किया गया हो अथवा पासपोर्ट को तीन वर्षों से अधिक समय के लिए रखा गया हो, उसके लिए ₹10,000 का दंड निर्धारित किया गया है। नियम पुस्तिका आगे प्रावधान करती है कि लागू स्थानीय मुद्रा में जुर्माने की वसूली हेतु विनिमय दर वही होनी चाहिए जिसका वीज़ा/अन्य कान्सुलर सेवाओं के परिकलन/रूपांतरण हेतु उपयोग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रथा के अनुसार, मिशनों द्वारा त्याग शुल्क के लिये अपनाई गई विनिमय दर वही है जो पासपोर्ट के दुरुपयोग के लिए दंड हेतु उपयोग की जाती है।

विदेश मंत्रालय (एमईए) ने एमईए की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को संशोधित (अक्तूबर 2012) किया था। एमईए ने, संशोधित पासपोर्ट शुल्कों तथा संबंधित शुल्कों का संदर्भ देते समय, यह बताते हुए आगे स्पष्टीकरण (अक्तूबर 2012/दिसम्बर 2012)

जारी किया कि उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना में केवल पासपोर्ट शुल्क तथा पासपोर्ट संबंधी सेवायें शामिल होंगी जैसा उसमें शामिल किया गया है तथा इसलिए कांसुलर शुल्कों की संरचना अपरिवर्तित रहेगी। एमईए ने मिशन को सलाह (अक्तूबर 2012) भी दी कि स्थानीय मुद्रा के अनुसार शुल्क का संशोधन किया जाए यदि स्थानीय मुद्रा यूएस डॉलर के प्रति 10 *प्रतिशत* या अधिक तक मूल्य कम होता है। हालांकि, यूएस डॉलर के प्रति स्थानीय मुद्रा की मूल्य वृद्धि की स्थिति में शुल्कों का संशोधन न किया जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2017) कि भारतीय उच्च आयोग (एचसीआई), वेलिंग्टन, न्यूजीलैण्ड ने जुर्माना तथा त्याग शुल्क हेतु 1 यूएस $ = एनजेड $ 1.3 की दर पर अक्तूबर 2012 में लागू सरकारी विनिमय दर का प्रयोग किया जबकि मिशन द्वारा सितम्बर 2000 से वीज़ा सेवाओं हेतु उपयोग किया गया विनिमय का दर 1 यूएस $ = एनजेड $ 2.2160[7] (1 यूएस $ = ₹47.50) था। तदनुसार, एचसीआई ने (दिसम्बर 2012) जुर्माने हेतु एनजेड $ 467[8] तथा त्याग शुल्क हेतु एनजेड $ 327[9] के बजाए लगाए जाने वाले जुर्माने को एनजेड $ 245 पर और त्याग शुल्कों को एनजेड $ 225 पर प्रभारित किया था। यह नीचे की ओर संशोधन एमईए के अनुदेशों के उल्लंघन में था कि स्थानीय मुद्रा के अनुसार शुल्क का संशोधन तभी किए जाएं यदि यूएस डॉलर के प्रति स्थानीय मुद्रा का 10 *प्रतिशत* या अधिक तक मूल्य कम हो, जैसा नहीं हुआ था।

एचसीआई वेलिंगटन के अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि उसने अक्तूबर 2012 से अप्रैल 2018 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट त्याग के 14537 मामलों तथा गलत पासपोर्ट के दुरुपयोग/प्रतिधारण शुल्कों के 2328 मामलों के संबंध में फीस लागू की। फलस्वरूप, इसका परिणाम उसी अवधि के दौरान क्रमश: 14537 त्याग मामलों में एनजेड $ 1502662 (₹3.22 करोड़[10]) तथा 2328 पासपोर्ट दुरुपयोग/प्रतिधारण मामलों में एनजेड $ 570272 (₹1.22 करोड़) की कम वसूली में हुआ जैसा **अनुलग्नक-8.1** में विवरण दिया गया है।

---

7 1 यूएस $= एनजेड $ 2.2160 अगस्त 2000 में प्रचलित विनिमय दर

8 एनजेड $ 467 (₹10000/₹47.50 x एनजेड $ 2.2160)

9 एनजेड $ 327 (₹7000/₹47.50 x एनजेड $ 2.2160)

10 1 एनजेड $ = ₹21.44 (@ वीजा शुल्क दर 1 यूएस $ = 2.2160 एनजेड $, 1 एनजेड $ = ₹47.50)

इंगित किए जाने (अप्रैल 2018) पर एमईए ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (जून 2018) तथा बताया कि अनुदेशों की गलत व्याख्या थी जो मिशन की ओर से विनिमय दर (आरओई) के गलत निर्धारण का कारण बना। उसने यह भी बताया कि मिशन ने तब से शोधक कार्रवाई की थी तथा उसने उसी विनिमय दर, जिसका वीज़ा शुल्क का निर्धारण करने हेतु उपयोग किया गया था अर्थात 1 मई 2018 से लागू 1 यूएस डॉलर = एनजेड $ 2.2160 का उपयोग करके त्याग हेतु शुल्क तथा पासपोर्ट के प्रतिधारण/दुरुपयोग पर जुर्माने का संशोधन किया।

इस प्रकार, दिसम्बर 2012 में भारतीय नागरिकता के परित्याग हेतु सेवा शुल्कों तथा पासपोर्ट के दुरुपयोग पर जुर्मानों के अनुचित नीचे की ओर संशोधन का परिणाम अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक की अवधि के दौरान कुल ₹4.44 करोड़ की राजस्व हानि में हुआ।

8.3 द्रुत डाक सेवाओं पर अधिक व्यय - ₹4.11 करोड़

नमूना जांच किए गए पच्चीस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों में से इलेक्ट्रानिक रूप से अपेक्षित पता डाटा प्रदान करने में असमर्थता के कारण तेरह कार्यालय द्रुत डाक सेवाओं के थोक ग्राहकों हेतु उपलब्ध छूट के केवल आधे का ही लाभ उठा सके। अन्य आरपीओ ने छूट का लाभ नहीं उठाया क्योंकि उसने अन्य कार्यालयों की तरह डाक प्राधिकारी के साथ अनुबंध नहीं किया था।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग (डीओपी) ने (दिसंबर 2010) एक योजना "नवीन द्रुत डाक छूट सरंचना एवं प्रचालन क्रियाविधि" प्रारम्भ की जो मुख्य ग्राहकों के साथ दीर्घावधि व्यवसाय संबंध बनाने के लिए मासिक द्रुत डाक व्यवसाय पर छूट प्रदान करती है। थोक ग्राहकों, जो एक केलैण्डर माह में, ₹50,000 अथवा अधिक का द्रुत पोस्ट व्यवसाय प्रदान करते हैं, को इस योजना[11] के अंतर्गत प्रस्तावित छूट माह के लिए की गई बुकिंग मूल्य पर 5 *प्रतिशत* से 30 *प्रतिशत* के बीच थी जिसका विवरण **अनुलग्नक-8.2** में दिया गया है।

छूट का लाभ उठाने के लिए थोक ग्राहक को डाक विभाग के साथ एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए एक अनुबंध करना है और तत्पश्चात जिसका प्रत्येक वर्ष नवीकरण किया जा सकता है। पूर्ण छूट की दर उन ग्राहकों के लिए

[11] डाक विभाग, व्यवसाय विकास निदेशालय के ओएम सं.57-02/2010-बीडीएण्डएमडी दिनांक 10 दिसम्बर 2010, 57-03/2012-बीडीएण्डएमडी दिनांक 24 सितम्बर 2012 तथा 10-23/2013-बीडीएण्डएमडी दिनांक 24 जनवरी 2017 के माध्यम से।

उपलब्ध होगी जो डाक विभाग को इलेक्ट्रॉनिक फोर्मेट में थोक बुकिंग डाटा प्रदान करेंगे। यदि डाटा केवल पेपर मेनीफेस्ट में प्रदान किया गया है तो उपलब्ध छूट को आधा कर दिया जाएगा।

क्षेत्रीय पोसपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) पासपोर्टों, पत्रों, आदि के वितरण हेतु डीओपी की द्रुत डाक सेवाओं का लाभ उठाते हैं। देश में विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधीन 37 आरपीओ में से 25 आरपीओ की नमूना जांच ने प्रकट किया कि तेरह आरपीओ ने डीओपी को इलेक्ट्रॉनिक फोर्मेट (साफ्ट कापी) में डाटा प्रस्तुत नहीं किया था तथा वह केवल आधी छूट का ही लाभ उठा सके जो अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए ₹2.39 करोड़ के डाक प्रभारों के अधिक भुगतान का कारण बना जैसा **संलग्नक-8.3** में ब्यौरा दिया गया है।

आरपीओ, लखनऊ, एक थोक ग्राहक होने से डीओपी के साथ अनुबंध करने में विफल रहा तथा योजना के अंतर्गत किसी भी छूट का लाभ नहीं उठा सका जो डाक प्रभारों पर ₹1.72 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना। आरपीओ लखनऊ ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि मुख्य पोस्टमास्टर (जीपीओ) ने यह अवगत कराया कि अनुबंध के अनुसार अनुमत्य छूट को जनवरी 2019 माह से संसाधित किया जा रहा है।

इस प्रकार आरपीओ द्वारा छूट का लाभ न उठाना ₹4.11 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का कारण बना।

पैरा जनवरी 2019 में मंत्रालय को जारी किया गया था, उत्तर दिसम्बर 2019 तक प्रतीक्षित है।

नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर

8.4 दरों को गलत तरीके से अपनाने का परिणाम अतिरिक्त लागत में हुआ

नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर ने गलत ऊपरी दरों तथा उपकर/करों को अपनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹2.34 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई, जिसमें से ₹1.85 करोड़ पहले ही ठेकेदार को अदा कर दिए गए थे।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के अधीन नालन्दा विश्वविद्यालय, राजगीर (विश्वविद्यालय) को नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के तहत स्थापित किया गया था।

विश्वविद्यालय ने अपने स्थायी परिसर (चरण-1) हेतु ₹37.22 करोड़ का आंतरिक सड़कों के निर्माण तथा जलश्रोतों को प्रदान करने के लिए मिट्टी का

कार्य सौंपा (सितम्बर 2016)। यह कार्य अप्रैल 2018 तक पूरा कर लिया गया था; तथा मार्च 2019 तक ₹31.01 करोड़ अदा किए गये थे। कार्यों की लेखापरीक्षा जांच ने निम्नलिखित तथ्य प्रकट किये:

- ✓ कार्य निविदा में दी गई अनुमानित लागत पर सौंपा गया था जिसमें श्रमिक उपकर, निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यूसीटी) तथा बिहार प्रवेश कर के प्रति दर सारणी (एसओआर)[12] से अधिक अतिरिक्त 6 *प्रतिशत* का प्रावधान था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एसओआर ने केवल श्रमिक उपकर (एक *प्रतिशत* पर) तथा डब्ल्यूसीटी (चार *प्रतिशत* तक) के प्रति वृद्धि को अनुमत किया तथा बिहार प्रवेश कर को पहले ही क्रमश: ऊपरी दरों तथा दर विश्लेषण में शामिल कर लिया गया था।
- ✓ बॉक्स पुलिया तथा आरसीसी निकासी नाली जैसी संरचनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय ने ₹50 करोड़ से कम के सड़क निर्माण कार्यों के लिए लागू 10 *प्रतिशत* के बजाए मुख्य पुलों हेतु लागू 25 *प्रतिशत* की ऊपरी दर को गलत प्रकार से अपनाया।
- ✓ कार्य का दर विश्लेषण सीमेंट तथा पत्थर संचयों पर बिहार प्रवेश कर के प्रावधान पर आधारित था कि बिहार सरकार ने बिहार में स्टोन चिप्स के खनन को प्रतिबंधित किया था तथा उन्हें डोमचांच, झारखण्ड से प्राप्त करने की योजना की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने वास्तव में सामग्री शेखपुरा, बिहार से प्राप्त की थी।

परिणामस्वरूप, ₹2.34 करोड़ की बढ़ी हुई अतिरिक्त देयता के प्रतिकूल विश्वविद्यालय ने पहले ही 10वें आरए बिल तक ठेकेदार को ₹1.85 करोड़ जारी कर दिए है। विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा को आश्वासन दिया (मई 2019) कि राशि की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिल से की जाएगी। अनुपालना प्रतीक्षित है।

मामला एमईए को सूचित किया गया था (जुलाई 2018); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2019)।

---

[12] विश्वविद्यालय ने सड़क निर्माण विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित एसओआर अपनाया जो 1 अप्रैल 2016 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप थे।